फोन नं0– 2490921

क्षेत्रीय कार्यालय

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड

मथुरा

दिनांकः 28/09/16

पत्रांकः 848/NOC-1050/2016

सेवा में,

मैं0, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि0 का रिटेल ऑउटलेट,
खसरा सं0– 1025 ग्राम– सुरीर कलॉ बॉगर ,
तहसील–मॉट व जिला–मथुरा।

विषय– पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नई इकाई की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन।

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन दिनांक 20.09.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से आप द्वारा रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। आपके आवेदन पत्र पर विचार किया गया हैं तथा कृपया अवगत हो कि रिटेल आउटलेट को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो एवं सामान्य शर्तो के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती हैं।

अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणो के लिए ही निर्गत किया जा रहा है।

क–	स्थल	खसरा सं0– 1025 ग्राम– सुरीर कलॉ बॉगर तहसील–मॉट व जिला–मथुरा।
ख–	उत्पादन	पैट्रोलियम पदार्थो का भण्डारण (पैट्रोल एव डीजल) भण्डारण क्षमता–400000 ली0
ग–	मुख्य कच्चामाल	उपरोक्तानुसार।
घ–	प्रयुक्त ईधन एंव उसकी मात्रा	–

उपर्युक्त विषयवस्तु में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

1. घरेलू बहिश्राव जिसकी मात्रा 1.0 कि0ली0/दिन से अधिक न होगी को सेप्टिक टैंक/सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप शुद्धीकृत कर निस्तारित किया जाये।
2. पैट्रोल, डीजल भण्डारण के समय वाहन इत्यादि को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाये कि स्थानीय यातायात पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
3. रिटेल आउटलेट में प्रयुक्त होने वाली पैट्रोल, डीजल का भण्डारण एवं उपयोग इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये कि आकस्मिक दुर्घटना की आशंका न हो इस सम्बन्ध में पर्याप्त सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षित स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।

SIDDHARTHA MISRA
Chief Regional Manager
and Duly Constituted Attorney of
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
(A. Govt. of India Enterprises)

कृ0प0उ0

Scanned by CamScanner

4. रिटेल आउटलेट में अधिकांश रिक्त भूमि पर समुचित ग्रीन बेल्ट की स्थापना का कार्य किया जाये।।
5. यथा निर्देशित रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु व्यवस्था करते हुये पीजोमीटर की स्थापना की जाये।
6. रिटेल आउटलेट की स्थापना एवं संचालन इस प्रकार से किया जाये कि पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा कोई भी क्रिया–कलाप जनहित के प्रतिकूल नहीं किया जाये। परिवेशीय वायुगुणता बोर्ड मानको के अनुसार सुनिश्चित की जाये।
7. अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तो की अनुपालन आख्या प्रत्येक माह बोर्ड को प्रेषित की जायेगी तथा ट्रायल उत्पादन से दो माह पूर्व सहमति जल एवं सहमति वायु हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर दिया जाये। ट्रायल उत्पादन प्रारम्भ करने के पूर्व इस कार्यालय से निरीक्षण कराया जाये।
8. अग्नि शमन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र एक माह के अन्दर प्रस्तुत करें।

यह अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2017 तक वैध है। शर्तो के संशोधन का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है। शर्तो का पालन न पाये जाने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त/रिवोक किया जा सकता है।

भवदीय

(वी0के0अस्थाना)
क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned by CamScanner